

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1981/फाल्गुन 27, 1902
No.61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1981/PHALGUNA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1981

सं. 25015/1/81-डी.—भारत सरकार एतद्वारा विनाशशील कृषि जिनसे से संबंधित दल द्वारा, जो भारत के 29 जनवरी, 1981 के असाधारण राजपत्र सं. 28 के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित 29 जनवरी, 1981 के संकल्प सं. 25015/1/81-टी के अनुसार, गठित किया गया था रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को निम्न प्रकार से आगे बढ़ाती है :—

1. अन्तरिम रिपोर्ट—15 मार्च, 1981 तक
2. अन्तिम रिपोर्ट—15 मई, 1981 तक या इससे पूर्व ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा इस के सभी सदस्यों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी. आर. दुभाषी, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th March, 1981

No. 25015/1/81-T.—The Government of India hereby extends, as indicated below, the date for submission of the report of the Group on Perishable Agricultural Commodities which was constituted vide Resolution No. 25015/1/81-T dated the 29th January, 1981 published in Part I, Section I of the extraordinary Gazette No. 28 dated 29th January, 1981, as follows :—

- I. Interim Report by 15th March, 1981.
- II. Final Report by 15th May, 1981 or earlier.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territory Administrations and all Members of the Group.

Ordered also that the Resolution be published in the Extraordinary Gazette of India for general information.

P. R. DUBHASHI, Addl. Secy.